Bihar Administrative Service Association
(Registration No-633/2003)

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.-9334118192

Sunil Kumar Tiwary
General Secretary
Mob. No.- 9431085120

Vice President
Ajay Kumar
9835737317

Subodh Kumar
7979919465

Joint Secretary
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar
7717770977

Treasurer
Shashi Shekhar
9334557086

Memo No 67 Date 19-12-2022

प्रेषक,

अध्यक्ष,
बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन,
इन्कमटैक्स गोलम्बर के उत्तर, नेहरू मार्ग, पटना।

सेवा में,

श्री काशी कुमार,
सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

विषयः— आपके पत्रांक–BS 3-101321/2003–1134/ दिनांक–10.12.2022 के तहत मांगी गयी सूचना एवं कागजातों को उपलब्ध कराने हेतु समय विस्तारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त पत्रांक दिनांक–10.12.2022 एवं दिनांक–13.12.2022 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त वर्णित पत्रांक का अवतरण निम्न हैः–

"इस विभाग को बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन का एक प्रस्ताव सं0–शून्य दिनांक–07.12.2022 को प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक–07.12.2022 को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक का जिक्र किया गया है। इस संबंध में आप निम्नलिखित बिन्दुओं पर संबंधित कागजातों के साथ अपने उत्तर प्रस्तुत करें:–

***क**– केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक, जो दिनांक–07.12.2022 को हुई थी, उस बैठक का नोटिस दिया गया था या नहीं ? यदि बैठक का नोटिस दिया गया था कि उसकी छायाप्रति कृपया उपलब्ध करायें।*

***ख**– बाईलॉज के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाने की सूचना कितने दिन पूर्व देने का प्रावधान है, संसूचित करें।*

***ग**– केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक का कोरम क्या है तथा इस कोरम के अनुसार उक्त बैठक में सदस्यों ने भाग लिया था कि नहीं ? यदि भाग लिया था तो उपस्थिति पंजी की हस्ताक्षरित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय।*

घ– केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति से पारित प्रस्ताव जिस पंजी में अंकित किया गया था, उक्त बैठक की कार्यवाही पंजी की हस्ताक्षरित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय।

ङ– उपरोक्त प्रस्ताव के कंडिका–4 में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, मधुबनी द्वारा क्या कार्रवाई की गयी थी। उपरोक्त पर संघ ने ***पैनी नजर रखने का निर्णय*** *लिया है तथा संघ अनुमंडल पदाधिकारी के साथ पूरी तरह से खड़ी है। इसमें यह भी इंगित करने की कृपा की जाय कि आपके बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन के बॉयलॉज के किस प्रावधान के तहत आप किसी भी घटना पर पैनी नजर रखने के लिए आप स्वंय को सक्षम समझते है ?''*

उक्त पत्रांक–BS3–101321/2003–1134/दिनांक–10.12.2022 के पत्रोत्तर को एसोसिएशन की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत कर विमर्शोपरांत तैयार किया जाना है। वर्तमान में एसोसियेशन के पदधारक विधान सभा के सत्र तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नगर निकायो के निर्वाचन सम्पादन हेतु प्राप्त विभिन्न दायित्वों यथा–पर्यवेक्षक/निर्वाची पदाधिकारी /सहायक निर्वाची पदाधिकारी/ विधि–व्यवस्था संधारण व निर्वाचन से संबंधित अन्य कार्य के दायित्व में व्यस्त है, जिसके कारण केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक निकटतम रविवार दिनांक–8 जनवरी 2023 को आहूत की गयी है। बैठक में, नोटिस दिनांक–10.12.2022 (प्राप्ति दिनांक–13.12.2022) का उत्तर विमर्शोपरांत अनुमोदित कराकर दिनांक–10.01.2023 तक आपको भेज दी जायेगी। विदित हो कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 21 के तहत रजिस्टर्ड संस्था है एवं बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नियमावली, 2018 के नियम 15 के अनुरूप आवश्यकता अनुसार समय देते हुए सुनवाई करना विधि सम्मत है।

अतः अनुरोध है कि इस नोटिस का उत्तर देने हेतु दिनांक–10.01.2023 तक समय विस्तारित करने की महत्ती कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

19/12/22

अध्यक्ष